कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट, (अल्मोड़ा)

e.mail : eepmgsysalt@rediffmail.com

पत्रांक 658 /कैम्प–रामनगर/ दिनांक 30 .12.2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

विषय :— जनपद अल्मोड़ा में मासी गैरखेत से परथोला लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.837 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— उत्तराखण्ड शासन देहरादून का पत्रांक 1370/X-4-19/1(165)/2019 दिनांक 29.01.2020

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोड़ा में मासी गैरखेत से परथोला लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.837 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्वान्तिक स्वीकृति कुछ शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। आरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है :—

1 प्रस्तावित स्थल के आसपास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रखरखाव हेतु रु0 2,26,270.00 जमा कर दिया गया है।

2 शुद्व वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि रु0 5,49,909.00 मात्र जमा कर दिया गया है।

3 बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि जमा कराने हेतु वचनवद्वता का प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्न–1) कर प्रेषित किया जा रहा है।

4 पत्र के निर्देशानुसार देय धनराशियों के RTGS के माध्यम से Compensatory Afforrestation Fund, (CAF) Uttranchal SB A/c No. 150896138453110 कारपोरेशन बैंक लोधी शाखा नई दिल्ली में जमा करा दिया गया है। RTGS हेतु कारपोरेशान बैंक का IFSC Code CORP0000371 MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 है।

5 जमा कराये गये धनराशि के साक्ष्य के रुप में प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्न–2) कर प्रेषित किया जा रहा है।

6 जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र संलग्न (संलग्नक–3) कर प्रेषित है।

7 निर्धारित शर्तो का अनुपालन न किये जाने पर राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग स्वीकृति को निरस्त कर सकता है।

8 वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख संलग्न (संलग्नक–4) कर प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मोटर मार्ग में आने वाले वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

पत्रांक / तद्दिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

एन0पी0वी0 मूल्य जमा करने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मासी–गैरखेत से परथोला लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु रु0 5,49,909.00 मात्र एन0पी0वी0 जमा कर दी गयी है। यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मासी–गैरखेत से परथोला लिंक मोटर मार्ग के निर्माण में जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक सुझावों के अन्तर्गत सुरक्षा उपायों का कढ़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मासी–गैरखेत से परथोला लिंक मोटर मार्ग निर्माण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी की जाती है, तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि का भुगतान संबंधित विभाग के नाम जमा कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मासी गैरखेत से परथोला मोटर मार्ग निर्माण में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कोई भी उल्लघंन नही किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)